उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–4
संख्या– / XX–4 / 2020–01(07) / 2014
देहरादून : दिनांक 23 सितम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

कारागार विभाग के अन्तर्गत चीफ फार्मासिस्ट के 04 पद एवं फार्मासिस्ट के 15 पद सृजित हैं। कारागार विभाग में चीफ फार्मासिस्ट एवं फार्मासिस्ट के कार्य–दायित्वों का निर्धारण न होने के दृष्टिगत महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 13–06–2018 द्वारा कारागार विभाग, उत्तराखण्ड के चीफ फार्मासिस्ट एवं फार्मासिस्ट के कार्य–दायित्वों को चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों की भांति प्रख्यापित किये जाने के अनुरोध के क्रम में सम्यक् विचारोंपरान्त कारागार विभाग, उत्तराखण्ड में चीफ फार्मासिस्ट एवं फार्मासिस्टों के कार्य एवं दायित्व का निर्धारण निम्नानुसार किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

चीफ फार्मासिस्ट के कार्य एवं दायित्व :–

1. कारागार चिकित्सालयों में अपने अधीनस्थ कार्यरत प्रत्येक फार्मासिस्ट के सम्बन्ध में चीफ फार्मासिस्ट उनका प्रभारी अधिकारी होगा। यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसके विषय में सूचना चिकित्सा अधिकारी को देगा।
2. चीफ फार्मासिस्ट अपने अधीनस्थ कार्यरत फार्मासिस्टों के समस्त कार्यो एवं दायित्वों के लिये जिम्मेदार होगा।
3. चीफ फार्मासिस्ट चिकित्सालयों में औषधि भण्डार की जांच भी करेंगे तथा वहां पर कार्यरत फार्मासिस्ट के कार्यों की निगरानी समय–समय पर करते रहेंगे।
4. चीफ फार्मासिस्ट अधीनस्थ फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में उनके समस्त कार्य का निर्वहन सुनिश्चित करेंगे।
5. चीफ फार्मासिस्ट द्वारा दवाओं का इन्डेन्ट बनाने में सम्बन्धित अधिकारी की सहायता की जायेगी।
6. इसके अतिरिक्त अन्य कार्य जो उनके नियन्त्रक अधिकारी द्वारा सौंपे जायेंगे।
7. चीफ फार्मासिस्ट औषधि भण्डार एवं ड्रग एक्ट के अन्तर्गत आने वाली स्टोर की वस्तुओं के विधिवत रख–रखाव के लिए उत्तरदायी होंगे। वे इस बात के लिए भी उत्तरदायी होंगे कि इनका समय से उपयोग कर लिया जाय।
8. चीफ फार्मासिस्ट यह सुनिश्चित करेंगे कि स्टोर में औषधियों का रख–रखाव उत्तम हो, जिससे उनकी गुणवत्ता बनी रहे।
9. चीफ फार्मासिस्ट महीने में कम से कम एक बार स्टोर में उपलब्ध औषधियों का भौतिक सत्यापन करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि नारकोटिक और शेड्यूल्ड औषधियों की न तो पोटेन्सी समाप्त हुई हो और न ही इनका रंग आदि बदला हो।
10. चीफ फार्मासिस्ट चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से यह सुनिश्चित करेंगे कि स्टोर में उपलब्ध जो औषधियां कालातीत होने वाली है उन्हें फर्म को वापस किया जाय या अन्य कारागार चिकित्सालयों को उनकी मांग के अनुरूप स्थानान्तरित की जानी है, वहां भेजकर निर्धारित समय में उपयोग कर ली जाय।
11. चीफ फार्मासिस्ट ऐसी दवाईयों का रिकार्ड रखेगा जिसके प्रयोग से रोगी पर विपरीत प्रभाव पड़ा हो तथा इसकी एक रिपोर्ट चिकित्साधिकारी को देगा।
12. चीफ फार्मासिस्ट चिकित्साधिकारी / अधीक्षक की जानकारी के बिना कभी अनुपस्थित नहीं रहेंगे। चीफ फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में इनका कार्य वरिष्ठतम फार्मासिस्ट देखेंगे।
13. चीफ फार्मासिस्ट फार्मासिस्टों द्वारा किये जा रहे समस्त कार्यों का यथावश्यक मार्गदर्शन करेंगे।

14. चीफ फार्मासिस्ट यह भी सुनिश्चित करेंगे कि फार्मासिस्ट द्वारा किये जा रहे स्टेरलाईजेशन कार्यों में किसी प्रकार की त्रुटि न हो।
15. चीफ फार्मासिस्ट समय–समय पर जारी सम्बन्धित परिपत्रों/आदेशों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे/करायेंगे।
16. चीफ फार्मासिस्ट महानिरीक्षक कारागार के आदेशानुसार आवश्यकता के अनुरूप अन्य जनपद के कारागारों के समस्त फार्मासिस्टों के कार्य (पर्यवेक्षण) के लिए अन्य कारागारों में भ्रमण का कार्य भी करेंगे।
17. यदि कारागार में चिकित्सा अधिकारी नियुक्त है, तो चीफ फार्मासिस्ट के कार्यों में परिवर्तन हो जायेगा।
18. चीफ फार्मासिस्ट केवल इमरजेन्सी तथा ओ0पी0डी0 एवं इण्डोर वार्ड हेतु औषधियां निर्गत करने वाले उप भण्डारों का विजिट करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि इमरजेन्सी के रूम में जो औषधियां प्रयोग की जा चुकी हैं उनको नित्य रिप्लेस कर दिया जाय। चीफ फार्मासिस्ट इण्डोर वार्ड्स का विजिट नहीं करेंगे।
19. चीफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्टों और उनके कार्य स्थलों से सम्बन्धित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियमित और समय से उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु प्रभारी होंगें।
20. चीफ फार्मासिस्ट/अधीनस्थ फार्मासिस्टों के उचित कार्य सम्पादन हेतु चिकित्सा अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होगें।
21. चीफ फार्मासिस्ट/फार्मासिस्ट अन्य पैरा मेडिकल स्टॉफ एवं चिकित्सालय के अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का प्रतिवेदन वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगे।
22. चीफ फार्मासिस्ट/फार्मासिस्ट चिकित्साधिकारी की अनुपस्थिति अथवा अंशकालिक/संविदा चिकित्सक होने की दशा में जेल चिकित्सालय का प्रभारी होगा।
23. चीफ फार्मासिस्ट सप्ताह में एक दिन प्रत्येक बन्दी का बी0पी0(रक्त चाप), शुगर की जांच करेगा, किसी प्रकार की परेशानी होने पर तुरन्त जेल अधीक्षक/सहायक चिकित्साधिकारी को सूचित करेगा।
24. महानिरीक्षक कारगार के आदेशानुसार कोई भी कार्य।

<u>फार्मासिस्ट के कार्य एवं दायित्व :–</u>

(अ) कारागारों में तैनात फार्मासिस्ट मेडिकल ऑफिसर की निम्नलिखित कार्यों में सहायता करेंगें:–

1. बीमार बन्दी का परीक्षण व उपचार।
2. बीमार बन्दी का मेडिकोलीगल परीक्षण व उपचार।
3. इमरजेंसी मरीज के हित में सौंपे गये कोई कार्य।
4. विषाक्तता से सम्बन्धित मामलों में पेट की धुलाई।
5. इसके अतिरिक्त मेडिसन्स की डिसपैसिंग व ड्रस्पैसिंग व ड्रैसिंग में चिकित्सक के निर्देशों का अनुपालन करेंगे।
6. घावों इत्यादि की ड्रेसिंग।
7. सिरिन्जेज, इन्स्ट्रूमेन्टस, ड्रेसिंग व अन्य औजारों को स्टेरलाइज करना।
8. इन्जेक्शन लगाना तथा इन्जेक्शन रूम में इमरजेन्सी की व्यवस्था का रख–रखाव।
9. बीमार बन्दी के कल्याण व हित में दवायें देंगे, घाव को ड्रेस करेंगे, तापमान लेंगे और मरीज के सिरहाने लगे टिकट पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा अंकित निर्देशों को कार्यान्वित करेंगे।
10. फार्मासिस्ट सप्ताह में एक दिन प्रत्येक बन्दी का बी0पी0(रक्त चाप), शुगर की जांच करेगा, किसी प्रकार की परेशानी होने पर तुरन्त जेल अधीक्षक/सहायक चिकित्साधिकारी/चीफ फार्मासिस्ट को सूचित करेगा।

(ब) स्टोर्स में :–

1. दवाओं, इन्जेक्शन्स इन्स्ट्रूमेन्टस का समुचित रख–रखाव व भण्डारण।
2. जहरीली ड्रग्स को अलग ताले–कुंजी में स्टॉक में रखना।
3. स्टॉक–बुक्स, दवाओं से सम्बन्धित अन्य अभिलेखों को मृत स्टॉक (डेड स्टॉक) खाद्य वस्तुओं इत्यादि का रख–रखाव।
4. इन्डेंट/आर्डर तैयार करने में और दवाओं व अन्य वस्तुओं के विवरण को सत्यापित करने में चिकित्साधिकारी (स्टोर) की सहायता करना और स्टोर्स में प्राप्त औषधियों की कमी या अधिकता की रिपोर्ट देना।
5. इक्सपाइरी डेट रजिस्टर का रख–रखाव और चिकित्सा अधिकारियों को आगामी 06 माह में एक्सपायर होने वाली औषधियों के बारे में सूचित करना ताकि दवाओं का सदुपयोग किया जा सके।
6. फार्मासिस्ट मेडिकल औफिसर इन्चार्ज के साथ संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगा कि स्टोर्स में हर समय जीवन रक्षक औषधियों के साथ–साथ विष की एन्टीडोज आदि की व्यवस्था उपलब्ध हो।
7. जैसी भी स्थिति हो फार्मासिस्ट, चीफ फार्मासिस्ट/चिकित्सा अधिकारी के स्टोर के सत्यापन के कार्य में सहायता करेगा एवं उनके द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करेगा।
8. समस्त वायल्स, फायल्स, इंजेक्शन आदि पर उत्तराखण्ड सरकार की मोहर नानवाइएबिल इंक से लगाना और कारागार चिकित्सालय का नाम अंकित करना।
9. इंडोर/आउटडोर मरीजों के लिये मासिक ऐब्स्ट्रक्ट रजिस्टर का रख–रखाव डाईट रजिस्टर तथा अन्य रजिसटर और वाउचर्स लिखना।

(स)

1. फार्मासिस्ट, चिकित्साधिकारी की अनुपस्थिति में इमरजेन्सी केसेज अटैन्ड करेगा/करेगी, जहां तक प्राथमिक चिकित्सा सम्बंधित है।
2. फर्मासिस्ट मेडिकोलीगल केसेज में वह चिकित्सा अधिकारी की सहायता करेगा/करेगी।
3. चिकित्सा अधिकारी की अनुपस्थिति में फार्मासिस्ट यदि उच्च अधिकारियों द्वारा आदेशित किया जायेगा तो कारागार चिकित्सालय का इंचार्ज होगा।
4. जहां कहीं भी आवश्यकता होगी फार्मासिस्ट चिकित्सालय के कार्यों में सहायता करेगा।
5. शासन द्वारा निर्देशित किये जाने पर विभागीय कार्यों व राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहयोग देगा।
6. अन्य कोई कार्य वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/चीफ फार्मासिस्ट के आदेश पर।
7. महानिरीक्षक कारागार के आदेशानुसार कोई भी कार्य।

उपरोक्तानुसार निर्धारित कार्य–दायित्वों का महानिरीक्षक कारागार द्वारा कारागारों मे नियुक्त चीफ फार्मासिस्ट एवं फार्मासिस्टों से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(नितेश कुमार झा)
सचिव

संख्या–677/XX–4/2020–01(07)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. उप सचिव, चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त वरिष्ठ कारागार अधीक्षक/कारागार अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव